भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1326

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देना

+1326. श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले पर्यटकों हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पर्यटन पर निर्भर सीमांत आबादी की आजीविका को बनाए रखने के लिए सरकार की पर्यटन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों/यात्रियों से आय अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कला और शिल्प उद्यमों में लगे कारीगरों के लिए सरकार की कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे नीतिगत परिव्यय का प्रभाव सीमांत आबादी और कारीगरों को लाभ पहुंचा रहा है; और

(ड.) यदि हां तो तत्संबंधी जिला वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय तमिलनाडु सहित भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। अपनी चालू गतिविधियों के अंग के रूप में, यह देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। अतुल्य भारत अभियान 'घरेलू प्रचार और संवर्धन सहित आतिथ्य (डीपीपीएच)' और 'बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार' (ओपीएमडी) की अपनी योजनाओं के माध्यम से विरासत, निरोगता, साहसिक, आध्यात्मिक आदि सहित विभिन्न विषयों के तहत गंतव्यों का संवर्धन करता है। "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन" के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु में निम्नलिखित दो स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

क्रम संख्या	**परियोजना का नाम (प्रशाद योजना के तहत)**	**स्वीकृति का वर्ष**	**स्वीकृत लागत (रुपए)**
1	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99 करोड़
2	वेलंकन्नी का विकास	2016-17	4.86 करोड़

(ख): पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए देश में समृद्ध विरासत, संस्कृति, कला और शिल्प, कम ज्ञात स्थलों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व, पर्यटन पर्व आदि का आयोजन करता है जो देश की कला और शिल्प, विरासत और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं।

(ग) से (ड़): कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह शिल्प ग्राम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें शिल्प संवर्धन और पर्यटन को एक साथ लिया जा रहा है। इन गांवों के अंतर्गत, कारीगर एक ही स्थान पर रहते हैं और काम करते हैं और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का अवसर प्रदान किया जाता है जिससे कारीगरों की आजीविका सुनिश्चित होती है।

मूल उद्देश्य उन क्षेत्रों का चयन करना है जो प्रमुख पर्यटन स्थल/परिपथ से घिरे और जुड़े हुए हैं और पारंपरिक कला और शिल्प विरासत है, जो अधिकतम पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह कारीगरों की आय को डिजाइन नवाचारों और कार्यस्थल पर उनके दस्तकारी उत्पादों की बिक्री के माध्यम से और क्षेत्र की विरासत, संस्कृति, भोजन और अन्य पहलुओं को जोड़ने और प्रसारित करने में मदद करता है, जो अन्य क्षेत्रों के लिए भी आजीविका सुनिश्चित करता है। रघुराजपुर में एक शिल्प पर्यटन ग्राम स्थापित किया गया है और पूरे देश में 12 शिल्प पर्यटन गांव स्वीकृत किए गए हैं।

कार्यालय विकास आयुक्त (हथकरघा) ने सूचित किया है कि उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यटन परिपथों पर देश के चुनिंदा हथकरघा क्षेत्रों में शिल्प हथकरघा ग्राम विकसित करने की पहल की है। शिल्प हथकरघा गांवों के लिए पांच स्थानों की पहचान की गई है 1. शरन (कुल्लू, हिमाचल प्रदेश), 2. कनिहामा (बडगाम, श्रीनगर), 3. कोवलम (तिरुवनंतपुरम, केरल), 4. रामपुर (बोधगया, बिहार) और 5. मोहपारा (गोलाघाट, असम)।

****